

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (दलहन) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण यन्त्र ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प अनुदान पर किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 28-02-2019 तक कर सकते हैं।

1. जिलावार ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प (कृषि यन्त्र एवम औजार) के वितरण के लक्ष्य निम्न प्रकार है।

District wise physical and financial target of Power knap sack sprayer for other farmers (Rs.2500/Unit or 40% of cost whichever is less)			
Sr. No.	Name of Districts	Physical targets (in no.)	Financial targets (Rs. in lakhs)
1	Ambala	40	1
2	Bhiwani	60	1.5
3	Faridabad	35	0.875
4	Fathabad	40	1
5	Gurgaon	35	0.875
6	Hisar	50	1.25
7	Jhajjar	50	1.25
8	Jind	50	1.25
9	Karnal	50	1.25
10	Kurukshetra	60	1.5
11	Kaithal	25	0.625
12	Mohindergarh	44	1.1
13	Mewat	40	1
14	Panchkula	35	0.875
15	Panipat	40	1
16	Palwal	40	1
17	Sonipat	50	1.25
18	Rohtak	50	1.25
19	Rewari	50	1.25
20	Sirsa	80	2
21	Y. Naghar	35	0.875
	Total	959	23.975

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 1 ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. किसान उपरोक्त ऊर्जा चालित स्प्रे पम्प की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार भूमि सुधार विकास [निगम/हरियाणा](#) बीज विकास निगम/सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।